# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर(छत्तीसगढ)

## // आदेश //

क्रमांक 281 /एस डब्ल्यू/2021/ रायपुर, दिनांक 03/04/2021

भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड–19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय–समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेश क्रमांक/242/एस डब्ल्यू/2021/ रायपुर, दिनांक 30/03/21 की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिवंधो/शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायों एवं नगर निगम रायपुर/बीरगांव के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

| क्र. | दुकानों/संस्थानों की कार्यावधि | दुकानों/संस्थानों का वर्ग |
|---|---|---|
| 1 | प्रातः 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक | सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला–गुमटी, |
| 2 | प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक | रेस्टोरेंट/होटल/बार/ढाबा में डायनिंग, टेक–अवे एवं होम डिलीवरी |

- **पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।**
- **शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।**
- **तेलीबांधा, बुढ़ातालाब आदि अन्य समस्त स्थलों/उद्यानों/मार्गों के आसपास की चौपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी संध्या 6 बजे बंद होंगे।**
- **जिले की समस्त प्रकार के देशी / विदेशी मदिरा दुकान संध्या 6.00 बजे बंद होंगे।**
- **सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/छबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8.00 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा।**
- **सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।**
- सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानो के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा।
- सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ग्राहको को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे।
- प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आंगतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेमेन्ट जाने के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

- यदि किसी व्यवासायी के द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जावेगा।
- सभी एसडीएम /सिटी मजिस्ट्रेट/ सीएसपी/एसडीओपी/तहसीलदार एवं थानेदार उपरोक्त आदेश के कियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करेंगे।
- सभी इंसीडेंट कमांडर/जोन कमिश्नर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।

**उपर्युक्त आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।**

यह आदेश दिनांक 4/4/21 से आगामी आदेश पर्यंत प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर
जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

पृ. कमांक/281/एस डब्ल्यू/2021/ रायपुर, दिनांक 03/04/2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर/बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. इंसीडेंट कमांडर सर्व जिला रायपुर।
9. उप संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. सर्व तहसीलदार,/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ।

Office of the District Magistrate
RAIPUR (C.G.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर
जिला दण्डाधिकारी
रायपुर (छ.ग.)